कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक / राजस्व II / आर / 2913 धमतरी,दिनांक :– 29 / 05 / 2024

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) कुरूद
जिला–धमतरी

विषय :– जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 639 / अ.वि.अ. / वा.–1 / 2024 दिनांक 28.02.2024

––00––

विषयांतर्गत लेख है कि आपके संदर्भित पत्र के अनुसार आवेदिका अनुसुईया बाई पति कमल राम साहू निवासी ग्राम–तेंदूभाठा, तहसील–मगरलोड, जिला धमतरी द्वारा ग्राम तेंदूभाठा, तहसील–मगरलोड स्थित भूमि खसरा नंबर 863, 873, 930 रकबा क्रमशः 0.40, 0.06, 1.01 हे. मे स्थित सागौन वृक्ष की कटाई हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सिंगपुर के पत्र क्रमांक / उत्तर सिंगपुर / मोंहदी / 610 दिनांक 25.04.2024 एवं उप वनमंडलाधिकारी धमतरी के पृष्ठांकन क्रमांक / सा. / 1068 दिनांक 04.05.2024 के अनुसार राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मौका सत्यापन स्थल निरीक्षण कर पंचनामा लिया एवं वृक्ष का मार्किंग कर फार्म फेक्टर गणना पत्रक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, आवेदिका द्वारा वर्ष 2008–09 मे 3000 नग एवं वर्ष 2011–12 मे 700 नग सागौन वृक्ष रोपण किया गया था, जिसमे से मौका मे विभिन्न गोलाई वर्ग के 1216 नग सागौन वृक्ष पाया गया जिसे कृषि उद्देश्य से कटाई करना चाहता है। जिसका मार्किंग कर मय गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है। फार्म फेक्टर गणना पत्रक अनुसार निम्नानुसार अनुमानित लकड़ी प्राप्त होगाः–

क्र.	वृक्ष संख्या	अनुमानित उत्पादन		योग (घ.मी.)
		ईमारती (घ.मी.)	जलाऊ (घ.मी.)	
1	1216	62.707	62.707	125.414

चूंकि खसरा पांचसाला मे 1000 नग वृक्षो की प्रविष्टि किया गया है, अतः 1000 नग वृक्षों की कटाई की अनुशंसा की जाती है।

संलग्नः– संयुक्त स्थल सत्यापन प्रतिवेदन मार्किंग रिकार्ड मय फार्म फेक्टर गणना पत्रक

15/11
R1

वनमण्डलाधिकारी
धमतरी वनमण्डल, धमतरी

श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी
कार्या. उत्तर सिंगपुर

विषय :- जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भ :- आपके पत्र क्र. 419 दिनांक 20/03/2024

उपरोक्त संदर्भित लेख है कि 21/04/2024 को आवेदिका अनुसुईया बाई पति कमल राम साहू निवासी ग्राम तेन्दुकोना तह० मगरलोड जिला धमतरी, राजस्व विभाग के पटवारी श्री नेताम प०ह०नं. 15 एवं मेरे अधिनस्थ स्टाफ के साथ मौका निरीक्षण किया।

उपरोक्त आवेदक के निजी भूमि खसरा नं. 863, 873, 930 रकबा क्रमशः 0.040, 0.06, 1.01 हे० में वर्ष 2008-09 हरियाली शिवशक्ति सागौन माना नर्सरी से खरीदी कर पौधा रोपण लगभग 3000 नग किया था। एवं वर्ष 2011-12 में 700 नग सागौन कुल 3700 नग रोपण किया था।

मौका में गणना करने पर 1216 नग कुल छोटे बड़े सागौन पौधा है जिसका गणना कर फार्म फैक्टर निकाला गया। उक्त भूमि मालिक द्वारा बोला गया कि सभी सागौन को वन विभाग को कटाई हेतु देना चाहती हूँ। क्योंकि अन्य खाली जमीन में साग-सब्जी का फसल लगाते हैं जहाँ ड्रीप पाईप द्वारा सिंचाई हेतु पाईप (प्लास्टिक) का लगा हुआ है। खेत से लगे अन्य खेतों में खेत मालिक द्वारा खेत मेड़ में आग लगाने से सागौन के सूखे पत्ते गर्मी के दिनों में चारो तरफ फैले रहने के कारण आग लगने पर पूरा पाईप अन्य सामाग्री जल जाता है जिससे काफी नुकसान होता है। इस कारण से उक्त सभी सागौन की कटाई कराकर उक्त भूमि में कृषि कार्य करना चाहती है।

अतः श्रीमान के सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु जाँच प्रतिवेदन सादर सम्प्रेषित है।

GPS Reading — N - 20° 44' 33.09
E - 081° 52' 19.84

संलग्न :- (1) मौका पंचनामा
(2) गणना पत्रक
(3) फार्म फैक्टर

पंचनामा

हम सभी अधोहस्ताक्षरकर्ता पंचगण अपना पंचनामा लिखा देते है कि दिनांक 19/04/2024 को वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं राजस्व विभाग के पटवारी नितेश ध्रुव प.ह.नं. 15 के साथ संयुक्त रूप से मौका जांच किया गया।

आवेदिका अनुसुईया बाई पति कमलराम साहू निवासी ग्राम-तेन्दुभाठा तह. मगरलोड, जिला-धमतरी के निजी भूमि खसरा नं. 863, 873 930 रकबा क्रमशः 0.040 0.06 1.01 हे. में स्थित स्थित 1800 नग सागौन वृक्षों की कटाई के आवेदन के आधार पर मौके में सभी सागौन वृक्षों का नापजोख किया गया। जिसमें पर मौजूद कुल 1216 नग छोटे बड़े वृक्षों का गणना किया गया।

आवेदिका से पुछताछ करने पर बताया गया कि सभी वृक्षो की कटाई का - वन विभाग को देने बोला गया क्योंकि उक्त भूमि में वर्ष 2008-09 ~~को हुई थी~~ प्रजाति के सागौन शिवशक्ति रोपण कुल - 3000 का रोपण किया गया था। एवं वर्ष 2011-12 भाठा नर्सरी से खरीदी का रोपण किया गया था जिसमें 700 नग (कुल - 3700 नग) रोपण किया था जिसमें कटाई का कृषि कार्य हेतु खेत बनाने सभी सागौन का कटाई का चाहती है।

यही हम सभी पंचगणों का सही-सही कथन है पंचनामा पढ़ा सुना सही पाया हस्ताक्षर किया ताकि वक्त जरूरत में काम आवे।

क्र.	पंचगणों का नाम/पता	हस्ताक्षर
(1)	अनसुईया / कमलराम साहू ढोढी करेली	अनसुईया
(2)	कमलराम / मयाराम साहू ढोढी करेली	कमलराम
(3)	अजयकुमार / कमलराम साहू	अजय कुमार साहू
(4)	मुकेश / ईश्वर चंद जैन — रायपुर	मुकेश जैन

Nitesh
19/04/2024
प.ह.नं. 15

न्यायालय नायब तहसीलदार मगरलोड, जिला–धमतरी छ0ग0

//जांच प्रतिवेदन//

क्रमांक/ 139 /तह./वाचक–02/2024

प्रति,

मगरलोड, दिनांक 25/06/2024

अनुविभागीय अधिकारी(रा0),
कुरूद, जिला–धमतरी (छ0ग0)
जिला–धमतरी (छ0ग0).

विषयः– संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भः– अ0वि0अ0 महो0 का पत्र क्रमांक 639/अ.वि.अ./वा–1/2024 कुरूद दिनांक 28.02.2024।

----000----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदिका अनुसूईया बाई पति कमल राम साहू निवासी ग्राम–तेन्दुभाठा,, तहसील मगरलोड जिला धमतरी द्वारा ग्राम तेन्दुभाठा स्थित भूमि खसरा नंबर 863, 873, 930 रकबा कमशः 0.40, 0.06, 1.01 हे0 में स्थित 1800 नग सागौन वृक्ष की कटाई के संबंध में इस कार्यालय को पत्र प्राप्त हुआ है।

तत्संबंध में हल्का पटवारी, प0ह0नं0 15 से प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदित किया है कि मौके तथा अभिलेख जांच किया गया जांच में पाया गया कि ग्राम तेंन्दुभाठा, प0ह0नं0 15, रा0नि0मं0–मगरलोड में वर्तमान बी–1 रिकार्ड खाता क्रमांक 268 खसरा नंबर 863, 873, 930 रकबा 0.04, 0.04, 1.01 हे0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.09 हे0 अनुसुईया पति कमल नारायण जाति–तेली सा. करेली छोटी के नाम पर दर्ज है । मौके पर ख0नं 863, 873, 930 पर सागौन के वृक्ष स्थित है। निर्धारित प्ररूप–घ राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी प्रतिवेदन आवेदन में पृथक से संलग्न है।

उपरोक्त हल्का पटवारी जांच प्रतिवेदनानुसार ग्राम तेन्दुभाठा, प0ह0नं0 15 खसरा नंबर 863, 873, 930 रकबा 0.04, 0.04, 1.01 हे0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.09 हे0 अनुसुईया पति कमल नारायण जाति–तेली सा. करेली छोटी के नाम पर दर्ज है । मौके पर सागौन वृक्ष की कुल संख्या 1219 है। अतएव छ0ग0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के तहत् प्रवधानानुसार अनुमति हेतु उपरोक्त संबंध में जांच प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

1890

तहसीलदार
मगरलोड

न्यायालय तहसीलदार मगरलोड